[दिल्ली राजपत्रए भाग 4ए असाधारण में प्रकाशनार्थ ,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110002

सं0फा0 03 (12) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/ 355 दिनांक: 30-06-2017

अधिसूचना सं0 7/2017

सं0फा0 03 (12) /वित्त(राज0-1)/2017-18ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपालए दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियमए 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएए दिल्ली माल और सेवा कर (संयोजन और रजिस्ट्रीकरण) नियमए 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैए अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (संयोजन और रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये 22 जूनए 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. दिल्ली माल और सेवा कर (संयोजन और रजिस्ट्रीकरण) नियमए 2017(जिन्हें इसके पष्चात कहा जाएगा) में--

(क) नियम 1 के शीर्षक में, "विस्तार" शब्द का लोप किया जाएगा य

(ख) इसके नियम 1 के उपनियम (1) में षब्दों तथा कोश्ठक ''(संयोजन और रजिस्ट्रीकरण)'' का लोप किया जाएगा ।

3ण उक्त नियम में, नियम 10 के उपनियम (4) मेंए श्डिजिटल रूप से हस्ताक्षरितश शब्दों के स्थान पर, श्सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापितश शब्द रखे जाएंगे य

(4) उक्त नियम में, नियम 13 के उपनियम (4) मेंए श्हस्ताक्षरितश शब्द के स्थान पर, शब्द श्सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापितश शब्द रखे जाएंगे य

(5) उक्त नियम में, नियम 19 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) के दूसरे परंतुक मेंए "उक्त नियम" शब्दों के स्थान परए श्नियम 8 का उपनियम (2)श शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे य

(6) उक्त नियम में, नियम 21 मेंए खंड (ख) के स्थान परए निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(ख) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में माल या सेवाओं की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है य या

(ग) अधिनियम की धारा 171 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अतिक्रमण करता है ।श्य

(7) उक्त नियम में, नियम 22 के उपनियम (3) मेंए श्के उपनियम (1)श शब्दों, कोष्ठको और अंक का लोप किया जाएगा य

(8) उक्त नियम में, नियम 24 मेंए..

(i) उपनियम (1) में दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा य

(ii) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगाए अर्थात् :--

"(3क) जहां रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र उपनियम (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना और विशिष्टियां प्रस्तुत करने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतरए सामान्य पोर्टल पर आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है और उक्त अवधि के भीतरए उपनियम (3) के अधीन कोई सूचना जारी नहीं की गयी हैए वहां रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया समझा जाएगा और सम्यक्त हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित रजिस्ट्रीकरण का उक्त प्रमाण पत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा ।श्य

(9) उक्त नियम में, नियम 26 के उप-नियम (3) मेंए "या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट" शब्दों के स्थान परए "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट या हस्ताक्षर के किसी अन्य ढंग द्वारा सत्यापित ई–हस्ताक्षर या इस निमित्त आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित सत्यापन के माध्यम सेश शब्द रखे जाएंगे य

(10) उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04 की सारणी मेंए क्रमसं0 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान परए निम्नलिखित रखा जाएगाए अर्थात् :--

श्5ण रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग

(i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता
(iii) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ताश्य

(11) उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07 मेंए "[नियम 6(6) देखें]" कोष्ठकोंए शब्दों और अंकों के स्थान परए "[नियम 6(5) देखें]" कोष्ठकए शब्द और अंक रखे जाएंगे य

;12द्ध उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी आर.ई.जी.–12 में "30 दिनों के भीतर" अंकों और शब्दों के स्थान परए "90 दिन के भीतर" अंक और शब्द रखे जाएंगे य

;13द्ध उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-25 मेंए तालिका में, क्रम संख्या 1 के सामने,–

(क) "अनंतिम पहचान" शब्दों के स्थान परए "जीएसटीआईएन" अक्षर रखे जाएंगे य

(ख) "स्थानश और "ढराज्यझश शब्दों का लोप किया जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस० के० गुप्ता)
उप-सचिव -VI ;वित्त)

सं0फा0 03 (12)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/35 दिनांक: 30-06-2017

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1ण प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2ण प्रधान सचिवए माननीय उपराज्यपालए दिल्ली ।
3ण प्रधान सचिवए माननीय मुख्यमंत्रीए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारए दिल्ली सचिवालयए इन्द्रप्रस्थ

इस्टेटए नई दिल्ली ृ

4ण प्रधान सचिव (वित्त)ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारए दिल्ली सचिवालयए इन्द्रप्रस्थ इस्टेटए नई दिल्ली ृ

5ण सचिवए वित्त मंत्रीए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारए दिल्ली सचिवालयए इन्द्रप्रस्थ इस्टेटए नई दिल्ली ृ

6ण नि.स. नेता प्रतिपक्षए 29ए दिल्ली विधानसभाए पुराना सचिवालयए दिल्ली ृ

7ण आयुक्तए मूल्य संवर्धित करए व्यापार भवनए आई पी एस्टेटए नई दिल्ली ृ

8ण अतिरिक्त सचिव (विधि)ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारए दिल्ली सचिवालयए इन्द्रप्रस्थ इस्टेटए नई दिल्ली ृ

9ण मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारीए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारए दिल्ली सचिवालयए इन्द्रप्रस्थ इस्टेटए नई दिल्ली ृ

10ण पंजीयकए दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरणए व्यापार भवनए आई पी एस्टेटए नई दिल्ली ृ

11ण मूल्य संवर्धित कर अधिकारी (निति)ए मूल्य संवर्धित कर विभागए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारए व्यापार भवनए आई पी एस्टेटए नई दिल्ली ृ

12ण गार्ड फाइल ृ

13ण वेबसाइट ृ

(एस० के० गुप्ता)
उप-सचिव -VI ;वित्त)